# <u>न्यायालय- गिरीश कुमार मंडावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.)</u>

## // दांडिक कार्य विभाजन आदेश //

क्रमांक-क्यू/सी.जे.एम./2025, रायपुर, दिनांक 06.01.2025

मैं, गिरीश कुमार मंडावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर (छ.ग.) दांडिक कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 (1) एवं 13 (2)** में प्रदत्त प्रावधानों के तहत् राजस्व जिला रायपुर में पदस्थ, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, के मध्य दांडिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करता हूँ, जो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर (छ.ग.) के अनुमोदन में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा :-

| क्र. | न्यायिक अधिकारी का नाम | आरक्षी केन्द्र | विवरण |
|---|---|---|---|
| **01.** | **02.** | **03.** | **04.** |
| **01.** | **गिरीश कुमार मंडावी**,<br>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**(1) सिविल लाईन**<br>**(2) तेलीबांधा**<br>**(3) माना**<br>**(4) राखी**<br>**(5) रेंज सायबर थाना**<br>**(6) राज्य स्तरीय सायबर थाना** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** थाना यातायात एवं आर.टी.ओ. रायपुर से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**3.** माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 1576/तीन-6/2001, बिलासपुर, दिनांक 13 मार्च 2007 के अनुसार सिविल जिला रायपुर से उत्पन्न :-<br>(a) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944<br>(b) विदेशी व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992<br>(c) कम्पनी अधिनियम 1956<br>(d) धनकर अधिनियम 1957<br>(e) दानकर अधिनियम 1958<br>(f) आयकर अधिनियम 1961<br>(g) सीमा शुल्क अधिनियम 1962<br>(h) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963<br>(i) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम 1964<br>(j) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969<br>(k) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** राजस्व जिला रायपुर के नगर पालिका निगम से उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**5.** राजस्व जिला रायपुर से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 से संबंधित आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**6.** राजस्व जिला रायपुर के अंतर्गत स्थित समस्त आबकारी वृत्तों से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **7.** राजस्व जिला रायपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 के मामलों से संबंधित समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**8.** राजस्व जिला रायपुर अन्य स्थानीय अधिनियम के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा पेश किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना।<br>**9.** राजस्व जिला रायपुर मुख्यालय के सभी आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न तेजाब द्वारा चोट पहुँचाने से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**10.** राजस्व जिला रायपुर से उत्पन्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत पेश किये जाने वाले परिवाद पत्र एवं अभियोग पत्र का निराकरण करना।<br>**11.** आबंटित थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम के तहत् समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**12.** राजस्व जिला रायपुर के क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत् संस्थित प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**13.** ऐसे प्रकरण अथवा न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख इस कार्य वितरण आदेश में न हो, का निराकरण करना।<br>**14.** माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **02.** | **श्री भूपेश कुमार बसंत,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1.सिटी कोतवाली**<br>**2. टिकरापारा** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की अधिसूचना क्र. 7605/तीन-6-7/2000, चेकर, बिलासपुर, दिनांक 10.05.2024 के अनुसार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराध, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **(सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पीठासीन अधिकारी** के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले मामलों का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **03.** | **श्री आनंद कुमार सिंह,**<br>विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. जी.आर.पी.**<br>**2. आर.पी.एफ.**<br>**3. गंज** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की अधिसूचना क्र. 6049/तीन-6-1/2000, बिलासपुर, दिनांक 15.04.2024 के अनुसार रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग, जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जाँच एवं विचारण के लिए आबंटित क्षेत्राधिकार के तहत प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **04.** | **श्रीमती सुमन सिंह,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | -- | **1.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **05.** | **कु. खिलेश्वरी सिन्हा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. पण्डरी**<br>**2. उरला** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **तेलीबांधा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आरक्षी केन्द्र **तेलीबांधा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **06.** | **श्रीमती दीप्ति लकड़ा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. महिला थाना**<br>**2.अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण थाना** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **महिला थाना** से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र **अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण थाना** से उद्भूत होने वाले आपराधिक प्रकरण **(ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार माननीय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के विविध आदेश क्र. क/एक-15-1/92, रायपुर, दिनांक 25 जुलाई, 2019 के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 एवं 354 क से घ तक एवं 509 (**वर्तमान में प्रचलित भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 से 79 के मामले**) तथा प्रसव पूर्व गर्भाधान, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध), अधिनियम, 1994 (Pre-conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994) के अंतर्गत अपराधों से संबंधित प्रकरणों के विचारण हेतु **ईयरमार्क** किये जाने के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त मामलों का निराकरण करना।<br>**6.** माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर के विविध आदेश क्र. क/एक-02-01/2008, रायपुर, दिनांक 06 अप्रैल 2023 के अनुसार सेरोगेसी (विनियमन) अधिनियम 2021 की धारा 4 के अंतर्गत सेरोगेसी के माध्यम से जन्म |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | लेने वाले बच्चे की जनकता एवं उसके अभिरक्षा से संबंधित प्रकरणों एवं उक्त अधिनियम के तहत् उत्पन्न होने वाले अपराधों के निराकरण करने हेतु **ईयरमार्क** किये जाने के फलस्वरूप उनके समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले उक्त मामलों का निराकरण करना।<br>**7.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **07.** | **कु. भारती कुलदीप,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | | **1.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समयसमय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **08.** | **श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**<br>के विचारण हेतु<br>ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **कबीर नगर, गंज, धरसींवा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **09.** | **श्री अरूण नोरगे,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**<br>के विचारण हेतु<br>ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **उरला, मौदहापारा, खरोरा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2. रायपुर मुख्यालय के रिक्त न्यायालयों से उद्भूत परक्राम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण** (अन्य दांडिक कार्य जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर) **का निराकरण करना।**<br>**3.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **10.** | **कु. आकांक्षा बेक,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1.खरोरा**<br>**2. पुरानी बस्ती** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आरक्षी केन्द्र **सिविल लाईन** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **11.** | **कु. गीता बृज,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**<br>के विचारण हेतु<br>ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **राजेन्द्र नगर, सरस्वती नगर** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **12.** | **श्री सुरेश टोप्पो,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**<br>के विचारण हेतु<br>ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **सिटी कोतवाली, मंदिर हसौद, विधानसभा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **13.** | **श्री आलोक कुमार अग्रवाल**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**<br>के विचारण हेतु<br>ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **टिकरापारा, सिविल लाईन, गुढ़ियारी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **14.** | **कु. रंजू वैष्णव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. अभनपुर**<br>**2. राजेन्द्र नगर** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **राखी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र **राखी** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **15.** | **श्री वैभव घृतलहरे,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**<br>के विचारण हेतु<br>ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **देवेन्द्र नगर, खमतराई, तेलीबांधा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **16.** | **कु. आफरीन बानो,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. सरस्वती नगर** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न एवं आरक्षी केन्द्र **माना** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आरक्षी केन्द्र **माना** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **17.** | **श्री अजय सिंह मीणा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. आमानाका**<br>**2.गुढ़ियारी**<br>**3. मंदिर हसौद** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **18.** | **कु. अंकिता यदु,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1.मुजगहन** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** रायपुर मुख्यालय के **रिक्त न्यायालयों से उद्भूत समस्त दांडिक कार्यों** (परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **19.** | **कु. उन्नति महिस्वर,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. खम्हारडीह** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **20.** | **कु. नीति,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**<br>के विचारण हेतु<br>ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **पुरानी बस्ती, आजाद चौक, गोबरा नवापारा** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **21.** | **कु. साक्षी ध्रुव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. डी.डी. नगर** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत् प्रस्तुत समस्त मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **22.** | **कु. जेनिफर लकड़ा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. देवेन्द्र नगर**<br>**2. आजाद चौक** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **23.** | **कु. धारिणी राणा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. कबीर नगर** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **24.** | **कु. प्रीति झा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. मौदहापारा** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **25.** | **कु. कृति कुजूर,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. गोबरा नवापारा** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **26.** | **श्रीमती निहारिका तिवारी,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम**<br>के विचारण हेतु<br>ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **पण्डरी, गोलबाजार, मुजगहन** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **27.** | **श्री हर्षवर्धन जायसवाल**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. खमतराई**<br>**2. विधानसभा** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **28.** | **कु. सौम्या राय,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **डी.डी. नगर, खम्हारडीह, माना** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **29.** | **कु. आकांक्षा खलखो,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. धरसींवा** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **30.** | **श्री विकास खाण्डे,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) | **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय | **1.** आरक्षी केन्द्र **आमानामा, राखी, अभनपुर** के क्षेत्राधिकार से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई.एक्ट) से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**2.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **31.** | **श्रीमती मनीषा ठाकुर,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) | आरक्षी केन्द्र<br>**1. गोलबाजार** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों, **धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत प्रस्तुत परिवाद एवं **धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के तहत् प्रस्तुत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | आवेदन पत्र **(धारा 74 से 79 भारतीय न्याय संहिता के मामले एवं ऐसे मामले जिनके विचारण का क्षेत्राधिकार किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त है, को छोड़कर)** का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **32.** | **श्री भावेश कुमार वट्टी,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>**तिल्दा नेवरा, जिला-रायपुर** | आरक्षी केन्द्र<br>**तिल्दा नेवरा** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र से उदभूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |
| **33.** | **श्री शिवेन्द्र कुमार टेकाम,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>**आरंग, जिला-रायपुर** | आरक्षी केन्द्र<br>**आरंग** | **1.** स्तम्भ कमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।<br>**2.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न घरेलु हिंसा के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**3.** आबंटित आरक्षी केन्द्र क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम के तहत् प्रस्तुत समस्त आपराधिक मामलों का निराकरण करना।<br>**4.** आबंटित आरक्षी केन्द्र से उदभूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों का निराकरण करना।<br>**5.** माननीय सत्र न्यायाधीश रायपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये मामलों का निराकरण करना। |

# // आवश्यक निर्देश //

(1) रायपुर जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए चलित न्यायालय लगा सकेंगे।

(2) रायपुर मुख्यालय में पदस्थ एवं बाह्य मुख्यालय में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर से अनुमति लेकर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश को सूचित करते हुए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत चलित न्यायालय लगाया जा सकेगा।

(3) **धारा 184 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023** के तहत् साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट **परिशिष्ट "ए"** के अनुसार दर्ज करेंगे।

(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 के अधीन दण्डनीय मामलों में **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के नियम (6)(क) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत्** साक्ष्य एवं संस्वीकृतियों को महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट **परिशिष्ट "ए–1"** के अनुसार दर्ज करेंगे।

(5) "विशेष न्यायालय (एन.डी.पी.एस.) के सुनवाई योग्य प्रकरणों से संबंधित कार्यवाही दांडिक कार्य विभाजन आदेश में प्रदत्त क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जावेगा, जिसके थाना क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित (आरक्षी केन्द्र) थाना/पुलिस चौकी द्वारा सामाग्री जप्त करने की कार्यवाही की गयी है/अपराध दर्ज किया गया है या परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर द्वारा नामित किये जाने की दशा में उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा **एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985** के तहत् **जप्तशुदा सामाग्री की इन्वेंटरी** तैयार किया जावेगा तथा अन्य विभाग/संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में संबंधित कार्यवाही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट को नामित किये जाने पर की जावेगी।"

(6) रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न **खात्मा** प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट को आबंटित आरक्षी केन्द्र वाले न्यायालय में कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(7) रायपुर जिला के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न **खारिजी** संबंधी कार्यवाही **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर** द्वारा की जायेगी।

(8) **रेंज सायबर थाना एवं राज्य स्तरीय सायबर थाना** द्वारा अन्य आरक्षी केन्द्र के अपराध में अन्वेषण किये जाने की दशा में उससे संबंधित **जमानत आवेदन पत्रों** व **सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों** का निराकरण संबंधित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

(9) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने लिंक कोर्ट में रहने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने या न्यायालय के रिक्त रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था **परिशिष्ट "बी"** में उल्लेखित न्यायाधीश द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा।

(10) ऐसे अन्य मामले या न्यायिक कार्य जिनका विशिष्ट उल्लेख, इस कार्य विभाजन आदेश में ना हो अथवा कोई शंका की स्थिति उत्पन्न हो तो मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट अथवा मुख्यालय में कोई भी मजिस्ट्रेट अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यरत न हो, वहाँ **परिशिष्ट "बी"** के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(11) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य, जिसका विशिष्ट उल्लेख इस आदेश में न हो, वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(12) अवकाश पर जाने के पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर एवं प्रभार वाले मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना आवश्यक रूप से देंगे।

(13) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने पर उनके अधिकारिता वाले आरक्षी केन्द्र क्षेत्रों से संबंधित संक्षिप्त विचारण वाले समस्त प्रकरण उनकी अनुपस्थिति में प्रभार वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे तथा पंजीबद्ध किया जाकर निराकृत किये जायेंगे।

(14) यह दाण्डिक कार्य विभाजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय रायपुर द्वारा अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा।

# // परिशिष्ट "ए" //

| धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 के तहत साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अंकित करना | | |
|---|---|---|
| **क्र.** | **मजिस्ट्रेट का नाम** | **आरक्षी केन्द्र** |
| **01.** | **02.** | **03.** |
| 01. | **श्री भूपेश कुमार बसंत,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | सिविल लाईन |
| 02. | **श्री आनंद कुमार सिंह,**<br>विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट,<br>रायपुर (छ.ग.) | देवेन्द्र नगर |
| 03. | **कु. खिलेश्वरी सिन्हा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | विधानसभा |
| 04. | **कु. दीप्ति लकड़ा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | गोलबाजार |
| 05. | **श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | जी.आर.पी, आर.पी.एफ., |
| 06. | **श्री अरूण नोरगे,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | पुरानी बस्ती |
| 07. | **कु. आकांक्षा बेक,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | गंज, कबीर नगर |
| 08. | **कु. गीता बृज,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | धरसींवा, तिल्दा नेवरा |
| 09. | **श्री सुरेश टोप्पो,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | मुजगहन, सरस्वती नगर |
| 10. | **श्री आलोक कुमार अग्रवाल,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | राजेन्द्र नगर |
| 11. | **कु. रंजू वैष्णव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | टिकरापारा |
| 12. | **श्री वैभव घृतलहरे,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | मौदहापारा |
| 13. | **कु. आफरीन बानो,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | डी.डी. नगर |

| | | |
|---|---|---|
| 14. | **श्री अजय सिंह मीणा**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | माना |
| 15. | **कु. अंकिता यदु**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | गोबरा नवापारा, एंटी करप्शन ब्यूरो |
| 16. | **कु. उन्नति महिस्वर,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | सिटी कोतवाली, आजाद चौक |
| 17. | **कु. नीति,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | उरला, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो |
| 18. | **कु. साक्षी ध्रुव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरंग, सी.बी.आई. |
| 19. | **कु. जेनिफर लकड़ा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | गुढ़ियारी |
| 20. | **कु. धारिणी राणा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | खमतराई |
| 21. | **कु. प्रीति झा**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना, महिला थाना |
| 22. | **कु. कृति कुजूर**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | राज्य सायबर थाना, रेंज सायबर थाना |
| 23. | **श्रीमती निहारिका तिवारी**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | खरोरा, आरंग |
| 24. | **श्री हर्षवर्धन जायसवाल,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आमानाका |
| 25. | **कु. सौम्या राय,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | तेलीबांधा |
| 26. | **कु. आकांक्षा खलखो,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | अभनपुर |
| 27. | **श्री विकास खाण्डे,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | मंदिर हसौद, खम्हारडीह |
| 28. | **श्रीमती मनीषा ठाकुर,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | राखी, पण्डरी |

## // परिशिष्ट "ए–1" //

| **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के नियम (6)(क) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत्,** भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 618 pt7, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 124 के अधीन दण्डनीय मामलों में **महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा साक्ष्य एवं संस्वीकृतियाँ अभिलिखित करना** | | |
|---|---|---|
| **क्र.** | **मजिस्ट्रेट का नाम** | **आरक्षी केन्द्र** |
| **01.** | **02.** | **03.** |
| 01. | **कु. खिलेश्वरी सिन्हा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | विधानसभा,<br>सरस्वती नगर, |
| 02. | **श्रीमती स्वर्णलता ओम यादव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | जी.आर.पी.,<br>आर.पी.एफ,<br>सिविल लाईन, |
| 03. | **कु. आकांक्षा बेक,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | गंज,<br>गोलबाजार, |
| 04. | **कु. गीता बृज,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | धरसींवा,<br>तिल्दा नेवरा,<br>देवेन्द्र नगर |
| 05. | **कु. रंजू वैष्णव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | टिकरापारा,<br>खम्हारडीह, |
| 06. | **कु. आफरीन बानो,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | डी.डी. नगर,<br>पुरानी बस्ती, |
| 07. | **कु. अंकिता यदु**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | गोबरा नवापारा,<br>एंटी करप्शन ब्यूरो, |
| 08. | **कु. उन्नति महिस्वर,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | सिटी कोतवाली,<br>मुजगहन,<br>आजाद चौक |
| 09. | **कु. नीति,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | उरला,<br>आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,<br>पण्डरी |
| 10. | **कु. साक्षी ध्रुव,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | आरंग,<br>सी.बी.आई.,<br>कबीर नगर |
| 11. | **कु. जेनिफर लकड़ा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | गुढियारी,<br>मौदहापारा |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | **कु. धारिणी राणा,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | खमतराई,<br>माना |
| 13. | **कु. प्रीति झा**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना,<br>महिला थाना, |
| 14. | **कु. कृति कुजूर**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | राज्य सायबर थाना,<br>रेंज सायबर थाना, |
| 15. | **श्रीमती निहारिका तिवारी**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | खरोरा,<br>आमानाका |
| 16. | **कु. सौम्या राय,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | तेलीबांधा,<br>मंदिरहसौद |
| 17. | **कु. आकांक्षा खलखो,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | अभनपुर,<br>राजेन्द्र नगर, |
| 18. | **श्रीमती मनीषा ठाकुर,**<br>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,<br>रायपुर (छ.ग.) | राखी,<br>सरस्वती नगर |

# // परिशिष्ट "बी" //

(1) राजस्व जिला रायपुर में स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य दांडिक कार्य विभाजन आदेश अनुसार आरक्षी केन्द्र से उद्भूत **दांडिक** प्रकरणों के निराकरण करने हेतु अधिकृत न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जो इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 के क्रम से** निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हों, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। अंतिम क्रम संख्या 36 के पश्चात् से क्रम से क्रमांक–1 को छोड़कर अर्थात् क्रमांक–2 से चक्रानुक्रम में पुनः प्रारंभ होगा।

(2) राजस्व जिला रायपुर में स्थित **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम** के विचारण हेतु ईयरमार्क न्यायालय के मध्य अत्यावश्यक कार्य का सम्पादन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा सम्पादित किया जायेगा, जो इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–8, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 26, 28, 30** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। अंतिम क्रम संख्या 30 के पश्चात् क्रमांक 8 से क्रम से चक्रानुक्रम में पुनः प्रारंभ होगा।

(3) दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–8, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 26, 28, 30** में अंकित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगा अर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा। इसी तरह कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अवकाश पर होने या अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहने की दशा में कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–8, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 26, 28, 30** में अंकित समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के क्रम से निर्धारित होगाअर्थात् जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अवकाश पर या अनुपस्थित हो, उसके अगले क्रम के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा बढ़ते क्रम में कार्य का निष्पादन किया जायेगा।

(4) इस दांडिक कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–32** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **तिल्दा नेवरा** एवं **क्रमांक–33** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, **आरंग** के अवकाश पर होने या अन्य कारण से अनुपस्थित होने पर उनका अत्यावश्यक कार्य राजस्व जिला के मुख्यालय रायपुर में स्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को छोड़कर) कार्य विभाजन आदेश में **क्रमांक–2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31** में अंकित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(5) उपरोक्तानुसार दर्शित अनुसार अवकाश पर होने पर क्रमानुसार अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई की जावेगी तथा जिन मामलों में साक्षी उपस्थित हुए हों, यदि संभव हो तो उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित करेंगे। यदि साक्षियों का साक्ष्य लेना संभव न हो तो उक्त साक्षी को लोक सेवक न होने की दशा में पाबंद किया जाकर अवकाशकालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य पर वापस आने की तिथि से तीन दिन से ज्यादा की तिथि उस प्रकरण में नहीं देना निर्धारित किया जावेगा तथा किसी भी दशा में ऐसे प्रकरण में प्रस्तुतकार द्वारा स्थगन नहीं दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

**(गिरीश कुमार मंडावी)**
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**रायपुर (छ.ग.)**

# न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक–क्यू/सी.जे.एम./2025, रायपुर, दिनांक 06.01.2025

**प्रतिलिपि :–**

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।

(2) माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर सादर सम्प्रेषित।

(3) माननीय कु./श्री/श्रीमती ..... जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कु./श्री/श्रीमती ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, रायपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(5) कलेक्टर, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(6) पुलिस अधीक्षक, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित। पुलिस अधीक्षक, रायपुर कृपया सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, रायपुर को तत्संबंध में सूचित करें।

(7) आयुक्त, आयकर विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(8) आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(9) आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(10) श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(11) अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(12) आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर आसूचना निदेशालय रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(13) उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला–रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(14) जिला खाद्य अधिकारी, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(15) डी.एफ.ओ., वन विभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(16) जिला आबकारी अधिकारी, सभी वृत्त प्रभारियों को सूचित करें।

(17) प्रभारी, राज्य सायबर सेल, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(18) जिला परिवहन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(19) सचिव, अधिवक्ता संघ, रायपुर/तिल्दा/आरंग (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(20) जिला अभियोजन अधिकारी, रायपुर (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(21) कम्प्यूटर अनुभाग, रायपुर (छ.ग.) की ओर जिला न्यायालय रायपुर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

**(गिरीश कुमार मंडावी)**
**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट**
**रायपुर (छ.ग.)**